

इनामिया 50,000/- (पच्चास हजार रुपये) का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मधुबन अभय कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा दिनांक 05.12.2025 को उ0नि0 सूर्यनाथ यादव थाना हलधरपुर जनपद मऊ मय हमराहियान के देखभाल क्षेत्र व पतारसी सुरागरसी में पहसा बाजार चकरा रोड के पास से मु0अ0सं0 326/2025 धारा 65(1), 137(2), 351(2), 352 बी0एन0एस0 व 5(L) /6 पाक्सो एक्ट तथा मु0अ0सं0 396/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना हलधरपुर जनपद मऊ से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त गोविन्द राजभर पुत्र गुलाब राजभर निवासी ग्राम कीरत सराय थाना हलधरपुर जनपद मऊ के कब्जे से 01 अदद तमंचा.315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया व अभियुक्त 50,000 रुपये पुरस्कार घोषित अपराधी है, को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. गोविन्द राजभर पुत्र गुलाब राजभर निवासी ग्राम कीरत सराय थाना हलधरपुर जनपद मऊ

आपराधिक इतिहास का विवरण –

1. मु0अ0सं0 361/2024 धारा 137(2), 87 बी0एन0एस0 थाना हलधरपुर मऊ
2. मु0अ0सं0 229/2025 धारा 121(2), 125(a), 132, 3(5) बी0एन0एस0 थाना हलधरपुर मऊ
3. मु0अ0सं0 326/2025 धारा 65(1), 137(2), 351(2), 352 बी0एन0एस0 व 5 1/6 पाक्सो एक्ट थाना हलधरपुर मऊ
4. मु0अ0सं0 396/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना हलधरपुर जनपद मऊ

बरामदगी-

1. 01 अदद तमंचा .315 बोर
2. 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. थानाध्यक्ष जितेन्द्र कुमार
2. उ०नि० सूर्यनाथ यादव
3. का० दिलीप पाल
4. का० राममिलन
5. का० अखिलेश

गाजीपुर से अंतर्राज्य बिहार प्रांत जा रही TATA DCM रजि० सं० UP60H4071 से अवैध अंग्रेजी शराब) कुल 104 पेटी, कुल 907 लीटर, कीमत लगभग ₹ 6,46,710/- बरामदगी के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05-12-2025 को प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ मय हमराह व सर्विलांस प्रभारी मय स्वाट टीम व प्रभारी SOG टीम के क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति संदिग्ध वाहन शान्ति व्यवस्था व विधि व्यवस्था में मामूर होकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा पूरे जनपद में कराये जा रहे वाहन चेकिंग के आदेश के अनुपालन में दिनांक 04.12.2025 को बलिया मोड़ पर वाहन चेकिंग व रोकथाम जुर्म जरायम में मामूर थे तथा हम पुलिस वाले आपस में अपराध व अपराधियों तथा मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाये जाने पर बातचीत कर रहे थे कि मुखबिर खास आकर बताया कि एक टाटा डीसीएम बलिया मोड़ की तरफ से आ रही है उक्त गाड़ी के डाला के निचले हिस्से में चेम्बर (बक्सा) बनाकर नीचे नाजायज शराब अंग्रेजी रखकर छिपाकर बिहार राज्य में विक्रय हेतु ले जाया जा रहा है। मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास करके हम पुलिस वाले चौकन्ना होकर बलिया मोड़ की तरफ आने वाले वाहनों की चेकिंग करने लगे कुछ ही समय पश्चात एक टाटा डीसीएम नम्बर UP60H4071 तेज गति से बलिया मोड़ की तरफ आती हुई दिखायी दी जिसे रोकने का प्रयास किया गया परन्तु वाहन चालक गाड़ी नहीं रोका तत्पश्चात हम पुलिस वाले अपने अपने वाहन से उक्त टाटा डीसीएम का पीछा कर घेरकर उसके आगे पीछे आड़े तिरछे लगाकर बलिया मोड़ से करीब 70, 80 मीटर जाते जाते रोक लिया गया नियमानुसार वीडियोग्राफी करते / कराते हुए चालक को उतारकर उसका नाम पता पूछा गया तो चालक ने अपना नाम रामू कुमार भारती पुत्र स्व० मथुरा राम निवासी नीरूपर थाना हल्दी जनपद बलिया उम्र करीब 28 वर्ष बताया तथा बताया कि टाटा डीसीएम के

डाला के नीचे चेम्बर / बक्सा बनाकर उसमें अंग्रेजी शराब अवैध रखकर छिपाकर आरा बिहार ले जा रहे थे। अभियुक्त को उसके जुर्म धारा 60, 63 आबकारी अधिनियम व 318(2), 336(2), 338, 340(2) BNS से अवगत कराते हुए समय करीब 16.45 बजे गिरफ्तार किया गया। अवैध अंग्रेजी शराब आफ्टर डार्क ब्लू 1056 अदद (180ML), आफिसर च्वाइस 3792 अदद (180ML), अमेरिकन प्राइड 48 अदद (180ML) कुल 104 पेटी, कुल 907 लीटर, कीमत लगभग ₹ 6,46,710/- है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मात्र 0 न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. रामू कुमार भारती पुत्र मथुरा राम नि0 नीरूपुर थाना हल्दी जनपद बलिया उम्र 28 वर्ष वांछित अभियुक्तगण

- अजय कुमार जायसवाल पुत्र गोपालजी निवासी चमनसिंह बाग रोड थाना कोतवाली जनपद बलिया (वाहन स्वामी)
- मोहन गुप्ता पुत्र अज्ञात नि0 गोलम्बर जिला बक्सर बिहार
- प्रेम शंकर पाण्डेय नि0 डुमरांव जिला बक्सर बिहार

बरामदगी का विवरण

- आफ्टर डार्क ब्लू 1056 अदद (180ML) कुल मात्रा 216.180 लीटर
- आफिसर च्वाइस 3792 अदद (180ML), कुल मात्रा 682.560 लीटर
- अमेरिकन प्राइड 48 अदद (180ML) कुल मात्रा 8.640 लीटर

आपराधिक इतिहास

- रामू कुमार भारती पुत्र मथुरा राम नि0 नीरूपुर थाना हल्दी जनपद बलिया उम्र 28 वर्ष
- मु0अ0सं0 423/2025 धारा 60, 63 आबकारी अधिनियम व 318(2), 336(2), 338, 340(2) BNS थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
- मु0अ0सं0 155/25 धारा 60(1), 64 आबकारी अधिनियम थाना दुबहड़ जनपद बलिया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
- प्रमोद कुमार सिंह प्रभारी स्वाट टीम / सर्विलांस जनपद मऊ
- उ0नि0 मनोज कुमार सिंह प्रभारी SOG टीम जनपद मऊ
- हे0का0 परमेश्वर थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
- का0 अमरेश सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

6. हे०का० कमलेश कुमार ठाकुर स्वाट टीम जनपद मऊ
7. हे०का० पियूष कुमार सिंह स्वाट टीम जनपद मऊ
8. हे०का० विक्रम सिंह रघुवंशी स्वाट टीम जनपद मऊ
9. का० ज्ञानेन्द्र पाण्डेय स्वाट टीम जनपद मऊ
10. हे०का० गाकेश यादव स्वाट सर्विलांस जनपद मऊ
11. हे०का० अमित कुमार सिंह सर्विलांस जनपद मऊ
12. का० अश्वनी गोड़ सर्विलांस जनपद मऊ
13. का० अविनाशधर दूबे SOG टीम जनपद मऊ
14. का० क्रषभ द्विवेदी SOG टीम जनपद मऊ
15. का० अनिरुद्ध सिंह SOG टीम जनपद मऊ
16. का० अनुदेश दत्त SOG टीम जनपद मऊ

मिशन शक्ति” अभियान फेज-05 के अन्तर्गत नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता(Zero Tolerance) की नीति के तहत जनपद पुलिस द्वारा दुष्कर्म सें संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान एंव मिशन शक्ति 5.0 के अन्तर्गत महिला अपराध में शून्य सहनशीलता के क्रम मे तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण मे क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ मय हमराही कर्म०गण के आज दिनांक 05.12.2025 को शुक्रवार की परेड में पुलिस लाइन में प्रतिभाग तत्पश्चात मु.अ.सं. 422/25 धारा 64(2)(f)/61(2)/115(2)/126(2) बीएनएस व 5(M),5(N)/6 पाक्सो एक्ट की विवेचना में मशरूफ होकर साक्ष्य संकलन व सुरागरसी पतारसी की जा रही थी जिस दौरान थाना कार्यालय से सूचना मिली कि वास्ते पूछताछ मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नामित अभियुक्त अविनाश गुप्ता पुत्र राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता निवासी ठाकुरबाड़ी गाँधी पार्क के सामने वार्ड नं०-१९ शंकर राम का हाता रसड़ा बाजार थाना रसड़ा जनपद बलिया आज दिनांक 05.12.2025 को वास्ते पूछताछ उपस्थित थाना आये हैं इस सूचना पर त्वरित थाना कार्यालय आकर मौजूद अभियुक्त को जुर्म धारा 64(2)(f)/61(2)/115(2)/126(2) BNS व 5(M),5(N)/6 POCSO ACT के अपराध कारित किये जाने का बोध कराते हुए बाजापता बाकायदा हमराह कर्मचारीगण के सहयोग से थाना परिसर में ही दिनांक 05.12.2025 को समय करीब 09.30 बजे हिरासत पुलिस में लेते हुए

नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर माझे न्यायालय चालान किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. अविनाश गुप्ता पुत्र राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता निवासी ठाकुरबाड़ी गाँधी पार्क के सामने वार्ड नं 0-19 शंकर राम का हाता रसड़ा बाजार थाना रसड़ा जनपद बलिया उम्र 35 वर्ष

आपराधिक इतिहास:-

1. मु.अ.सं. 422/25 धारा 64(2)(f)/ 61(2)/ 115(2)/ 126(2) बीएनएस व 5(M),5(N)/6 पॉक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

गिरफ्तारी टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. हेका० हेका० परमेश्वर यादव थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
3. का० अमरेश सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

“मिशन शक्ति” अभियान फेज-05 के अन्तर्गत नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता(Zero Tolerance) की नीति के तहत जनपद पुलिस द्वारा अपहरण से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान एंव मिशन शक्ति 5.0 के अन्तर्गत महिला अपराध में शून्य सहनशीलता के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा दिनांक 05.12.2025 देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर चौहान चौक के पास से मु०अ०सं० 151/25 धारा 137(2), 87, थाना दोहरीघाट जनपद मऊ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सूरज चौहान पुत्र धर्मेन्द्र चौहान निवासी तारनपुर दोहरीघाट जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायलय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सूरज चौहान पुत्र धर्मेन्द्र चौहान निवासी तारनपुर दोहरीघाट जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 151/25 धारा 137(2), 87, थाना दोहरीघाट जनपद मऊ